

कार्यालय प्राम पंचायत-

निकास स्वरूप सादाठे

जनपद-

गोपनी

जबरायार

गोपनी

दिनांक 16/06/23

संघर्ष

निषय:- जल जीवन मिशन (इर घर जल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

मार्गना ८

अवगत दिनांक १६/०६/२३ को प्रातः १०:०० बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत ने नियास करने वाले प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली बैठक की गयी। बैठक ने ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लेखपाल, पार्षदिक/जूहाईरकूल के प्रधानाचार्य, अध्यापक, शिक्षामित्र, ऑगनवाही कार्यकर्ता/गोपनीयका, कोटेदार, ४०एन०एम० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त बैठक में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में नियास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर चार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परिवार के गुणिया द्वारा दी गयी सहमति पन्च सम्बन्ध है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना विधानसभा तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमत है।

अतः अनुरोध है कि कृपया यथाशीघ्र ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कार्य करें।

रामलग्नक: परिवारों द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र।

भवदास

ग्राम पंचायत कार्यकर्ता
ग्राम पंचायत दौततनगर
गोपनीयका, कार्यकर्ता

M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi (U.P.)

ग्राम प्रधान
प्रधान दौततनगर
ग्राम पंचायत-जबरायार
न्याय पंचायत-दौततनगर
कोड़ पंचायत-सदाठ, गोपनीय

ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अधीन वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तथार की जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तथार की तारीख: 16/06/23

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: 26/7/23

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:

2. ग्राम का नाम: गोपीनाथ

ग्राम पंचायत का नाम: गोपीनाथ

बर्मक का नाम: भारती

जिला का नाम: गोपीनाथ

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश

ग्राम जनगणना वेड:

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : (संख्या) मवेशी कुंडों को और (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन जियमित आधार पर अधीन घन्टे निर्धारित गुणवत्ता + वाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष तक यामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसरणना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने भीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का च. ____ %, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिवर्णित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

* पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पर पी.एच.इ.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अधीन वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति नांव में जल आपूर्ति योजना ही आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): पैप अल ल्व एव एव एस.एम.टी.

समिति को क्या कहा जाता है:

अध्यक्ष का नाम: तारा देवी

लिंग: महिला

आयु:

प्रधान
ग्राम पंचायत-निवास
न्याय परिषद-समाज-गांधीज
केन्द्र

M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P)

III. सामाजिक विवरण

6.

प्राथमिक शिक्षा की सम्पत्ति	प्राथमिक शिक्षा की सम्पत्ति
प्राथमिक शिक्षा की सम्पत्ति	प्राथमिक शिक्षा की सम्पत्ति
प्राथमिक शिक्षा की सम्पत्ति	प्राथमिक शिक्षा की सम्पत्ति
प्राथमिक शिक्षा की सम्पत्ति	प्राथमिक शिक्षा की सम्पत्ति
प्राथमिक शिक्षा की सम्पत्ति	प्राथमिक शिक्षा की सम्पत्ति

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती घण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम घण -वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): _____

9. कृषि पासल पैटन: _____

प्राथमिक विवरण	प्राथमिक विवरण	प्राथमिक विवरण
प्राथमिक विवरण	प्राथमिक विवरण	प्राथमिक विवरण
प्राथमिक विवरण	प्राथमिक विवरण	प्राथमिक विवरण
प्राथमिक विवरण	प्राथमिक विवरण	प्राथमिक विवरण
प्राथमिक विवरण	प्राथमिक विवरण	प्राथमिक विवरण

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. मे): 160 मी 180 m.11. स्थलाकृति (भूमतल, ढालान, आदि): 215 एकड़ि

IV. स्थिति विवरण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हैं / नहीं)
(‘शाम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हैं / नहीं)
(‘शाम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)

1. जल	स्वाच्छना संस्थान का विवर	जल विवरण	वर्षा विवरण	भूमतल विवरण
2. भूमिकाइ	स्वाच्छना संस्थान	जल विवरण	वर्षा विवरण	भूमतल विवरण
3. वात्सल्य	स्वाच्छना संस्थान	जल विवरण	वर्षा विवरण	भूमतल विवरण

यानी की कल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 125.11 के.एल.डी.
 मवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 72.10 के.एल.डी.
 मवेशी बूँदों की आवश्यक संख्या: 3
 मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 162.10 के.एल.डी.
 अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 78.11 के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गांव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/धक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता को सामान्य प्रवृत्ति: **नहीं**

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकिये, रेत गाड़ियाँ आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति: **नहीं**

18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त **नहीं**

19. जल जनित रोगों वा इतिवृत्त: **भूखेलीपुर, हैला, घट्ट २१९३०५२**

पानी की गुणवत्ता

20. फिल्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

21. सैनिकी निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पैयजस स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): _____

कपड़े धोने / स्वास्थ्य करने का स्थान

23. यह समावना है कि गाँव के कुछ गरीब इतार्कों में कपड़े धोने के लिए और/या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने स्थान करने के स्थान उपलब्ध बनाए जाने हैं: _____

विजयनीति विजयनीति विजयनीति

स्रोत स्थायित्व

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हाँ/नहीं)

25. गाँव में उत्तर भौजूदा जल भंडारी की सूची जिनका कायाकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

गंदले जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): 123.11 के.एल.डी.

अलग-अलग सौख्या गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: 40

उन परिवारों की संख्या जिन्हे सौख्या गड्ढों की आवश्यकता है: 45

आवश्यक सामुदायिक सौख्या गड्ढों की संख्या: 6

क्या अपशिष्ट तब्दील तालाब की आवश्यकता है? (हाँ /नहीं): हाँ

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिधारित किया गया है: _____

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के बांद से अन्य उपायों को आपनाया जाना चाहिए? _____

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस क्षेत्री के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- उंतिम और तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूरी हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे डे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्ट्रिंग बाटर/स्थानीय या पराली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- बाटर शिड़ासीधीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- जिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिधारित जल स्रोत: झुम्लौल

तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के

आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: पाल पंचायत लाइंसिपिफि यूनि

इस योजना के लिए अभिनिधारित भूमि: झुम्लौल पंचायत लाइंसिपिफि यूनि
वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: 2024

योजना की लागत: 2.60.000 भारत सरकार का हिस्सा: 4 राज्य का हिस्सा: X

समुदाय का हिस्सा: 10 % व्यक्तिगत घरेलू उंचादान:

वार्षिक प्रचालन व रख-खाल शुल्क: _____ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/

प्रयोक्ता शुल्क: _____ कोई दूरस्थ बसावट ही तो, अभिनिधारित

पी.डब्ल्यू.एस.: _____

VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निपिमेल-जोल संभव है। याम समुदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिधारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

29.

नियन्त्रित क्षेत्र	प्रदान करने वाला	प्रदान करने वाला का विवर	प्रदान करने वाला का विवर	प्रस्तावित
उत्पन्न गंदला	पर्याप्त भू-स्थान का विवर	पर्याप्त भू-स्थान का विवर	पर्याप्त भू-स्थान का विवर	प्रस्तावित
प्रियमुंग सोलापुर	पर्याप्त भू-स्थान का विवर	पर्याप्त भू-स्थान का विवर	पर्याप्त भू-स्थान का विवर	प्रस्तावित
प्रियमुंग सोलापुर	पर्याप्त भू-स्थान का विवर	पर्याप्त भू-स्थान का विवर	पर्याप्त भू-स्थान का विवर	प्रस्तावित



योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियों की शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
एकीकृत बॉटरशेड पर्याप्ति कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	बाटरशेड प्रबंधन आर.डब्ल्यू.एच./ कौशिम पुनर्वर्णन, जल निकासी का नियमण/वृद्धि आदि।	
जल अंडारों की मरम्मत, नदीनीकरण और जीणांद्रिय	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल अंडारों का जीणांद्रिय	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और विकास कल्याण	बॉटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और विकास कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विशेष फसलों के लिए सूखम-सिंचाई का प्रावधान, एमवीसीसी से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूरक नदीनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, कल और विलगायु परिवर्तन मंत्रालय	बनीकरण, कल परिवर्तनात्मकी तंत्र का पुनर्वर्णन, बॉटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि।	
समया शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	नकूली में प्रयोगजल आपूर्ति का प्राप्तिकरण	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आधीन	जिल कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियों	
जिला बनिज विकास निधि (टी.एम.ए.ए)	राज्य	बड़े विमाने पर जल संरक्षण गतिविधियों	
एम.पी.एस.ए.टी.	सांस्थियों और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.पी.एस.पी.आई.)	अंतर्राष्ट्रीय अवसरचना	
एम.एल.ए.एस.ए.टी.	राज्य	जल योग्य उद्यमरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतर्राष्ट्रीय अवसरचना	
दानदात प्रायोजक			

आधिकार का हस्ताक्षर: _____

पी.एच.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: _____

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि सागृ हो): _____

संपर्क विवरण

गाम पंचायत और या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी.पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का आधिकार पंचायत संघिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. श्रीमा शुभाई = 6393483841
2. कापिल आरती = 9865332989
3. ईरीता = 9838913684
4. ईमन = 9918102339-
5. शुभा पाठ्य = 9044227120

पम ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:

संस्था तारोदेवी
गाम पंचायत-जबरपार
न्याय पंचायत-दोलतनगर
झोड़ पंचायत-मादारा, गाजीपुर

M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P)